

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 948/14

संस्थापन दिनांक:-09/12/14

फाईलिंग नं. 233504000992014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

सुदामा पिता श्यामराव विश्वकर्मा, उम्र 28 वर्ष
 निवासी बोड़खी नाका के पास बोड़खी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 09.11.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323 अथवा 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 22.10.2014 को समय दोपहर करीब 03:00 बजे थाना आमला से 04 किमी. पश्चिम में स्थित बोड़खी नाका के पास फरियादी के घर के सामने लोक स्थान या लोक स्थान के समीप फरियादी ललता बिहारिया को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी ललता बिहारिया को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण स्वरूप की उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि एक अन्य अभियुक्त पिंटू पिता श्यामराव के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2017 को धारा 299 दं.प्र.सं. की कार्यवाही की गयी है। यह निर्णय केवल अभियुक्त सुदामा के संबंध में पारित किया जा रहा है।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.10.2014 को फरियादी ने दोपहर करीब 3 बजे उसके घर के सामने लीप लिया था। तभी उसकी पड़ोसन कमला ने उसके द्वारा लीपी जगह पर ईंट के अर्द्धे डालने लगी जिसन पर उसने उसे अर्द्धे डालने से मना किया तो इसी बात पर से कमला के लड़के अभियुक्त सुदामा, पिंटू आये और उसे मां बहन की मादरचोद की गंदी गंदी गालियां दी। सुदामा ने उसके सिर में बांस का डंडा से मारा तथा

पिटू ने उसे दाहिने पैर पर जांघ पर लकड़ी मारा। मारपीट से उसे हाथ, कोहनी के नीचे चोट आयी। अभियुक्तगण ने रिपोर्ट करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 874/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण पिटू से एक बांस की लकड़ी तथा अभियुक्त सुदामा से एक बांस का डंडा जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्त फरियादी ललता को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
5. क्या अभियुक्त द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
6. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क्र. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण

6 ललता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे मां बहन की गंदी गंदी

गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

7 साक्षी/फरियादी ललता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

8 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में फरियादी ललता (अ.सा.-1) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी ललता (अ.सा.-1) ने अभियुक्तगण द्वारा उसे मारने की धमकी दिया जाना बताया है। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

9 ललता (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने लकड़ी से उसे मारा था जिससे उसे कंधे में चोट आयी थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाने में की थी। महेश (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि जब वह घर आया था तब उसकी पत्नी ललता ने यह बताया कि अभियुक्त सुदामा ने बांस की लकड़ी से मारपीट की थी जिससे उसके सिर, कंधे, जांघ में चोट आयी थी।

10 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-6) ने दिनांक 22.10.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत ललता

का परीक्षण किये जाने पर आहत की दोनों अग्र भुजा पर 2 गुणा 1 गुणा सेमी. आकार के खरोच के निशान तथा सिर एवं जांघ में दर्द पाया था। साक्षी ने आहत को आयी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 को प्रमाणित किया है।

11 प्रशांत शर्मा (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 22.10.2014 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 974/14 की केस डायरी प्राप्त होने पर दिनांक 24.10.2015 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्त पिंटू से एक बांस की लकड़ी, एवं अभियुक्त सुदामा से एक बांस का डंडा जप्त कर जप्ती पत्रक क्रमशः प्रदर्श पी-3 एवं प्रदर्श पी-4 तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।

12 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। फरियादी ललता ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं। साक्षी अपने कथनों में स्थिर भी नहीं है जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जावे। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में कमलेश (अ.सा.-5) मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे बाद में यह जानकारी लगी थी कि अभियुक्त और फरियादी के बीच में झगड़ा हुआ है। प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसे उसकी बहन ललता ने बताया था कि अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी महेश (अ.सा.-2) ने भी यह बताया है कि घटना उसके सामने नहीं हुई थी। घटना की जानकारी उसे उसकी पत्नी ने दी थी। इस तरह से उपर्युक्त साक्षीगण अनुश्रुत साक्षी है। फलतः अभियोजन को उपर्युक्त साक्षीगण से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14 अभिलेख पर मात्र आहत ललता (अ.सा.-1) के कथन उपलब्ध है। आहत सर्वोत्तम साक्षी होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552** उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं। अतः उपर्युक्त साक्षी के कथनों से यह देखा जाना है कि उसके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं ?

15 ललता (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह घर के सामने खड़ी थी तभी अभियुक्त सुदामा आया और बांस की लकड़ी से उसके सिर और कंधे में मारा। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसे बांये पैर, जांघ, सिर में चोट आयी थी। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में यह भी बताया है कि अभियुक्त सुदामा की मां कमलाबाई ने भी उसके साथ मारपीट की थी। उसकी जांघ पर अर्धमा मारा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि पहले झगड़ा कमलाबाई से हुआ था उसे ईंट डालने से मना किया था। बांस की लाठी कमला के हाथ में थी। जैस ही उसके सिर में चोट लगी थी उसे बेहोशी आ गयी थी।

16 साक्षी ललता (अ.सा.-1) ने अपने कथनों में अतिशयोक्तिपूर्ण कथन किये हैं। साथ ही अभियुक्त की मां कमला के द्वारा भी मारपीट करना बताया है। साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। न ही अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन किये हैं। साक्षी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित नहीं है क्योंकि आहत ललता को मात्र दोनों हाथों पर खरोच के निशान आये थे। जबकि साक्षी ने सिर, कंधे और जांघ में चोट आना बताया है। उपर्युक्त परिस्थिति में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या लोक स्थान के समीप फरियादी ललता बिहारिया को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी ललता बिहारिया को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण स्वरूप की उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त सुदामा को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

19 प्रकरण में जप्त दो बांस की लकड़ी के संबंध में आदेश अभियुक्त पिंटू के संबंध में निर्णय पारित करते समय किया जावे।

20 अभियुक्त सुदामा द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

21 प्रकरण में अभियुक्त पिंटू फरार है। अतः प्रकरण सुरक्षित रखने की टीप के साथ अभिलेखागार भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)